राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 200/2018

श्रीमती बीना शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2018

आदेश की दिनांक : 30.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा दिनांक 31.03.2014 को पूर्ण करने पर प्रदान किया जावे एवं उक्त लाभ प्रदान करने के उपरांत सेवानिवृत्ति लाभ आदि पुनर्निर्धारित किये जावें तथा मय शेष राशि सहित ब्याज भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 31.03.1987 को हुई थी और अपीलार्थी 27 वर्ष की सेवा दिनांक 31.03.2014 को पूर्ण हुई है और इस प्रकार

अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा उक्त लाभ प्रदान किये जाने से वंचित कर दिया गया और अपीलार्थी राजकीय सेवा से माह अगस्त, 2014 में सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर प्रथम पदोन्नति आदेश दिनांक 24.09.2013 के द्वारा स्वीकृत की गई। जबकि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ माह अप्रेल, 2014 में देय था। अपीलार्थी ने प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परंतु अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत करते हुये अन्य विद्यालय में पदस्थापित कर दिया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1673/2013 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया तथा आदेश दिनांक 22.11.2013 के द्वारा अपील को निस्तारित कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने पदोन्नति का परित्याग नहीं किया है बल्कि साधारण रूप से प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिये अनुरोध किया था। लेकिन अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापित कर दिया गया और तत्पश्चात् अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया, परंतु अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिनांक 24.02.2016 को प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6770/2003 श्री मोहनलाल शर्मा बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2009 एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4372/2000 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2001 एवं डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 992/2001 राज्य सरकार व अन्य बनाम रामधन में पारित निर्णय आदेश दिनांक 24.10.2002 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें पदोन्नति परित्याग उपरांत एसीपी दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। परंतु अपीलार्थी को उक्त विधि एवं नियमों के बावजूद भी पदोन्नति परित्याग उपरांत एसीपी का लाभ नहीं दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा दिनांक 31.03.2014 को पूर्ण करने पर प्रदान किया जावे एवं उक्त लाभ प्रदान करने के उपरांत सेवानिवृत्ति लाभ आदि

पुनर्निर्धारित किये जावें तथा मय शेष राशि सहित ब्याज भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.09.2013 के द्वारा वर्ष 2008–09 से वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयन वर्ष 2009–10 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी द्वारा किये गये पदोन्नति परित्याग संबंधी अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में इंद्राज है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान माह अप्रेल, 2014 में देय हो रहा था, उसको लेने के पश्चात् प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति चाहती थी, जो नियमानुसार दिया जाना संभव नहीं था। पदोन्नति परित्याग के फलस्वरूप अपीलार्थी को देय एसीपी राज्य सरकार के नियमानुसार दो वर्ष आगे अर्थात् दिनांक 14.04.2016 को देय होती है, परंतु अपीलार्थी उससे पूर्व ही दिनांक 31.08.2014 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गई। नियमानुसार अपीलार्थी को 27 वर्षीय एसीपी का लाभ देय नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 31.03.1987 को हुई थी और अपीलार्थी 27 वर्ष की सेवा दिनांक 31.03.2014 को पूर्ण हुई है और इस प्रकार अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा उक्त लाभ प्रदान किये जाने से वंचित कर दिया गया और अपीलार्थी राजकीय सेवा से माह अगस्त, 2014 में सेवानिवृत्त हो गया। जहां तक अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–4 प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान के पश्चात् प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के क्रम में विभाग को पत्र लिखा, जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया कि *''मुझे आदेश दिनांक 10.07.2013 के द्वारा व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की गई, किंतु इस पदोन्नति से वर्तमान में मुझे किसी प्रकार का आर्थिक*

लाभ भी नहीं है तथा मेरा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान माह अप्रेल, 2014 में देय है, ऐसी स्थिति में अपनी पदोन्नति 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का परिलाभ प्राप्त करने के पश्चात् प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति लेना चाहती हूँ। अतः विचार कर मुझे 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का परिलाभ दिये जाने के पश्चात् प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति देने की कृपा करें।'' इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा लिखे गये पत्र से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का परित्याग किया है और अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में भी परित्याग का इंद्राज किया गया है, जो अनुलग्नक आर–1 से प्रकट होता है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6770/2003 श्री मोहनलाल शर्मा बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2009 एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4372/2000 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2001 एवं डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 992/2001 राज्य सरकार व अन्य बनाम रामधन में पारित निर्णय आदेश दिनांक 24.10.2002 की ओर अधिकरण का जो ध्यान आकर्षित किया, वह आदेश वर्ष 2002 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये हैं, जबकि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 18 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *"(18) If a regular promotion has been offered but was refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed as such an employee has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the employee subsequently refuses the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal. See Illustration No. 4.*
>
> *Illustration No. 4.*
> *{Para 2(18)}*

1.	*Direct regular appointment on the post of L.D.C. on 1989*	*950-1680 (RPS 1989)*
2.	*First selection grade on completion of 9 years of regular service.*	*4000-6000 (RPS 1998)*
3.	*First regular promotion on completion of further 5 years service (i.e. 9+5 = 14 years).*	*4000-6000 (RPS 1998)*

4.	*Second ACP on completion of further 4 years of regular service (i.e. 9+5+4 = 18 years).*	*Grade Pay Rs. 2800/-*
5.	*Second regular promotion on completion of further 3 years service (i.e. 9+5+4+3 = 21 years).*	*Foregone*
6.	*Again second regular promotion on completion of further 2 years service (i.e. 9+5+4+3+2 = 23 years).*	*Grade Pay Rs. 3200/-*
7.	*Third ACP on completion of further service of 6 years (i.e. 9+5+4+3+2+6 = 29 years).*	*Grade Pay Rs. 3600/-"*

इस प्रकार हमारे मत में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसार राज्य के कार्मिक को पदोन्नति पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति नहीं होने के कारण 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने पदोन्नति का परित्याग करते हुये 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ लेते हुये प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने के लिये पत्र लिखा है, जो अपीलार्थी ने अपने स्वयं के सुविधानुसार उक्त लाभ चाहने हेतु पदोन्नति का परित्याग किया है, जो नियम संवत प्रकट नहीं होता है। परंतु ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य